रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 2007/चैत्र 26, 1929

No. 413] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 2007/CHAITRA 26, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2007

का.आ. 584(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने श्री ज्योति कुमार सिन्हा को उक्त प्राधिकरण का सदस्य नामित किया है ।

[फा. सं. 44/18/2006-एनडीएम-III (ए)/IV]

प्रभांशु कमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2007

S.O. 584(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has nominated Shri Jyoti Kumar Sinha as a member of the said Authority.

[F. No. 44/18/2006-NDM-III(A)/IV]

PRABHANSHU KAMAL, Jt. Secy.